म0प्र0 शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भोपाल– भोपाल–462004

क्रमांक / डी–17 / 16 / 2018 / 14–3 भोपाल,दिनांक 28 जनवरी, 2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय :– जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा भरे गए हरे, सफेद एवं ग्राम पंचायतों में जमा कराए गए गुलाबी आवेदन पत्रों को सुरक्षित रखे जाने विषयक।

संदर्भ :– इस विभाग का आदेश क्रमांक / डी–17 / 16 / 2018 / 14–3 दिनांक 07 जनवरी, 2019 एवं समसख्यक आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2019।

—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। दिनांक 15 जनवरी से 05 फरवरी, 2019 के मध्य बैंक अभिलेखों के अनुसार आधार–सीडेड ऋण खातों की जानकारी हरी सूची में एवं गैर–आधार सीडेड ऋण खाते की सफेद सूची में प्रदर्शित किए जा रहे है। ग्राम पंचायत में हरी सूची में शामिल ऋण खाताधारी किसान द्वारा हरे आवेदन पत्र तथा सफेद सूची में शामिल ऋण खाताधारी किसानों द्वारा सफेद फार्म भरे जा रहे हैं। जिन किसानों के दोनो सूचियों में नाम नहीं है, उनके द्वारा दावा तथा सूची में त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए गुलाबी आवेदन पत्र भी ग्राम पंचायतों में प्राप्त किए जा रहे है। ग्राम पंचायतों में प्राप्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्रों का जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पोर्टल पर डाटा अपलोड / ऑनलाईन किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों मे किसानों से प्राप्त समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्रों को पोर्टल पर आवेदनपत्रों को ऑनलाईन किए जाने के उपरांत आवश्यक रूप से ग्राम पंचायतवार एवं जनपद पंचायतवार संधारित कर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कार्यालय अथवा जिला कलेक्टर कार्यालय में शासन से आगामी आदेश तक सुरक्षित रखा जावे। प्रत्येक नोडल आफिसर (ग्राम पंचायत) द्वारा निर्धारित जिला कार्यालय में जमा कराए गए हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदनपत्रों की ग्राम पंचायतवार संख्या को पावती कर रजिस्टर में आवश्यक रूप से संधारित किया जावे।

(डॉ. राजेश राजौरा)
28/1/19
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

..........................2/